न्यायालय में श्रीमान् रेवेन्यु बोर्ड अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग-1810-II-14

पुनरीक्षण प्रक0 क्र0

1. रमाकान्त पिता स्व0 भानु प्रसाद चतुर्वेदी
2. सुशील कुमार पिता स्व0 भानु प्रसाद चतुर्वेदी
   दोनों निवासी ग्राम इन्दवार थाना इन्दवार
   जिला उमरिया म0प्र0 .... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. म0प्र0 शासन जरिये कलेक्टर महोदय, उमरिया जिला उमरिया म0प्र0
2. भू–अर्जन अधिकारी महोदय, बाणसागर परियोजना रीवा म0प्र0

.... रेस्पाडेण्टगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 16.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
16.6.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् कलेक्टर महोदय, उमरिया जिला उमरिया म0प्र0 के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्र0 74/स्व0पुन0/2002–03 के आदेश दिनांक 11.02.2014

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नांकित निवेदन करते हैं कि :–

संक्षिप्त विवरण

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बरालुम्हा तहसील मानपुर (तत्कालीन तहसील बांधवगढ़) जिला उमरिया म0प्र0 (तत्कालीन जिला शहडोल म0प्र0) की आराजी खसरा नम्बर 123/1 रकवा 1.124 हे0 के भूमिस्वामी रमाकान्त ...र्वेदी, जो उक्त भूमि के भूमिस्वामी जरिये तहसील बांधवगढ़ के तहसीलदार द्वारा ... जांच पश्चात् व्यवस्थापन के माध्यम से हुये थे, जिनके विरुद्ध जनहित ...ते हुये यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1810-दो/2014 जिला उमरिया रमाकांत विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 74/स्व.पुन./2002-03 में पारित आदेश दिनांक 11-02-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 25/01/19 सदस्य	